१८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर ए एस

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1. हीराराम पुत्र सवाराम जाति कलबी निवासी बाली तहसील बागोड़ा जिला–जालोर। 2. गैनसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी बाली तहसील बागोड़ा जिला–जालोर।		1. ग्राम पंचायत बाली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बाली पंचायत समिति भीनमाल तहसील बागोड़ा जिला जालोर। 2. वीराराम पुत्र केसाराम जाति सैन निवासी नई बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

बनाराजगी म्यूटेशन संख्या 393 दिनांक 05.10.2012 मौजा नई बाली

जो ग्राम पंचायत बाली ने स्वीकृत किया

उपस्थित : श्री गोरधनराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री विजयकुमार गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

मुकदमा संख्या :– 3/18 दिनांक :– 15/10/19

–: निर्णय :–

अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम म्यूटेशन संख्या 393 दिनांक 05.10.2012 मौजा नई बाली जो ग्राम पंचायत बाली ने स्वीकृत किया, उसके विरूद्ध पेशकर अपील में उल्लेख किया कि अपीलांट्स के नाम की खातेदारी भूमि नए खसरा नंबर 117 रकबा 0.96 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में अपीलांट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा रकबा 0.16 हैक्टेयर तथा अपीलांट संख्या 2 का 1/6 हिस्सा रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि नई बाली में आई हुई है।

उक्त आराजी में से अपीलांट्स ने दिनांक 18.07.2012 को अपने कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि का बेचान जरिए रजिस्ट्री रेस्पोडेंट संख्या 2 को किया गया, जिसकी नकल भी संलग्न अपील पेश की गई तथा म्यूटेशन संख्या 393 व नवीन जमाबंदी भी अपील के संलग्न अपीलांट्स द्वारा पेश की गई तथा उक्त बेचाननामा के आधार पर तत्कालीन पटवारी हल्का बाली द्वारा नामांतरणकरण संख्या 393 दिनांक 08.09.2012 को खोला जाकर तथा जांच दिनांक 04.10.2012 को निरीक्षक भू–अभिलेख धुम्बड़िया द्वारा की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.10.2012 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के साथ मिलावट करके उक्त म्यूटेशन अनुचित तरीके से स्वीकृत किया, जो म्यूटेशन काबिले खारिज है।

अपीलांट्स ने अपने हिस्से की कुल आराजी रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर का बेचाननामा रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में निष्पादित किया गया था, लेकिन म्यूटेशन संख्या 393 के जरिए अपीलांट्स की पूरी आराजी रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम अवैध रूप से राजस्व म्यूटेशन में दर्ज कर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट्स की पूरी खातेदारी का

उपखण्ड अधिकारी
बागोड़ा (जालोर)

Scanned by CamScanner

हक समाप्त कर दिया। जबकि कानूनी रूप से कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर का म्यूटेशन रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज करना था तथा शेष आराजी रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज रखनी थी, लेकिन म्यूटेशन संख्या 393 के जरिए अपीलांट्स की शेष बची आराजी भी रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी। इस प्रकार बेचाननामा में अंकित बेचान रकबे से अधिक आराजी का दर्ज म्यूटेशन स्वीकृत करने का ग्राम पंचायत बाली को कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसलिए उक्त म्यूटेशन विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरीत भरा जाकर स्वीकृत होने से काबिले निरस्त है।

उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयकुमार गोयल उपस्थित हुए।

हमने अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के विद्वान वकीलों की बहस सुनी, जिसमें अपीलांट्स वकील ने बताया कि उक्त अपीलाधीन नामांतरणकरण संख्या 393 मौजा नई बाली तत्कालीन हल्का पटवारी एवं हल्का आर.आई. व तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा बेचाननामा में अंकित बेचान रकबे से परे जाकर उक्त म्यूटेशन स्वीकृत किया है, उसको खारिज किया जावे, क्योंकि उक्त म्यूटेशन बेचाननामा में अंकित तथ्यों से परे जाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम उक्त आराजी दर्ज की है। उक्त गलत इन्द्राज म्यूटेशन के आधार पर अपीलांट्स की शेष बची आराजी 0.22 हैक्टेयर आराजी में हक समाप्त हो गया है। जबकि उक्त म्यूटेशन द्वारा तत्कालीन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को हक समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट ने अवैध प्रविष्टि दर्ज कर उक्त नामांतरणकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट्स को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए बगैर स्वीकृत कर दिया है, जो म्यूटेशन गलत स्वीकृत होने से उसको खारिज किया जावे एवं पुनः बेचाननामा अनुसार म्यूटेशन भरकर स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जावे। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बताया कि नए खसरा नंबर 117 रकबा 0.96 हैक्टेयर ग्राम नई बाली को अपीलांट्स के संपूर्ण हिस्से की भूमि उक्त म्यूटेशन के जरिए रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है जो वर्तमान चालू राजस्व जमाबंदी मौजा नई बाली में दर्ज है जो म्यूटेशन संख्या 393 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम गलत दर्ज हुई है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उक्त आराजी में से मात्र 0.10 हैक्टेयर भूमि जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद की थी, लेकिन उक्त म्यूटेशन द्वारा अपीलांट्स के संपूर्ण हिस्से की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज कर उक्त म्यूटेशन गलत स्वीकृत किया है, जिसको खारिज किया जावे एवं पुनः बेचाननामा के अनुसार नया नामांतरणकरण में 0.10 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम एवं 0.22 हैक्टेयर अपीलांट्स के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न राजस्व म्यूटेशन संख्या 393 मौजा नई बाली तथा दिनांक 18.07.2012 दस्तावेज बेचान खातेदारी व नवीन जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मौजा नई बाली का अवलोकन किया, जिसमें यह पाया गया कि अपीलांट्स ने उक्त अपील कानूनी बिन्दू के अनुसार सही व ठोस तथ्यों व आधार पर पेश की होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधि...
बागोड़ा (जालोर)

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर नामांतरणकरण संख्या 393 ग्राम नई बाली स्वीकृत दिनांक 05.10.2012 को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 18.07.2012 के बेचान दस्तावेज के अनुसार नया नामांतरणकरण नियामानुसार दर्ज करने का तहसीलदार बागोडा को आदेश दिये जाते है उक्त आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/10/19 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बागोडा

उपखण्ड अधिकारी
बागोड़ा (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2019.11.29 21:02:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: